

राजस्थान सरकार  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर


क्रमांक एफ.12( )APAR/विभागीय/ICDS/2017 33731  
परिपत्र

जयपुर दिनांक:  
15.5.18

प्रायः यह देखा गया है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति पर कार्मिकों द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरकर प्रस्तुत किये जाते हैं उसमें प्रतिवेदन अधिकारी /समीक्षक अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर के नही भिजवाये जाते हैं।

अतः सभी प्रतिवेदक अधिकारी/समीक्षक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति पर जो भी वार्षिक कार्य मूल्यांकन भिजवाये जावे उनमें हस्ताक्षर मय मोहर एवं पदनाम से ही भिजवाये अन्यथा बिना मोहर एवं पदनाम के वार्षिक कार्य मूल्यांकन निदेशालय में स्वीकार नहीं की जावेगी।

साथ ही समस्त उपनिदेशको को निर्देशित किया जाता है वे अपने अधीनस्थ समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों से यह प्रमाण -पत्र लेना सुनिश्चित करे कि उनके द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन भरकर समीक्षक अधिकारी की टिप्पणी हेतु भिजवा दिया गया है। इसके पश्चात ही समस्त उपनिदेशक द्वारा अपने अधीनस्थ बाल विकास परियोजना अधिकारियों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन भरा जावे।

  
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ.12( )APAR/विभागीय/ICDS/2017 33732-40/1  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

जयपुर दिनांक:  
15.5.18

1. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
2. उप निदेशक (प्रशासन), समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ .....
4. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी .....जिला .....
5. समस्त अधिकारिगण/कार्मिक को सूचनार्थ।
6. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

प्रभारी अधिकारी (एसीआर)  
उप निदेशक (वि.खा.का)  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर